



25 Years of  
Safety Regulation  
1983 - 2008

परमाणु  
ऊर्जा  
नियामक  
परिषद



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

Atomic  
Energy  
Regulatory  
Board



जय हिन्द

अध्यक्ष  
CHAIRMAN

## QUALITY POLICY


The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) has the mandate to enforce rules and regulations promulgated under the Atomic Energy Act, 1962 for ensuring radiological safety in the country, and under the Factories Act, 1948 for ensuring industrial safety in the units of the Department of Atomic Energy that are under the purview of the Board. The ultimate goal is to protect the workers, the members of public and the environment from undue hazards of ionizing radiations.

To achieve the above goal, we at AERB are committed to adopt Quality Management System (QMS) for the consenting processes, for the safety review and regulatory inspection of nuclear and radiation facilities and for development of safety documents for the purpose.

AERB will continually review and improve its Quality Management System to enhance the efficacy of its consenting processes, making its safety reviews and regulatory inspections more effective and furthering the development of safety documents, using its dedicated and motivated human resources.

All staff members of AERB are required to comply with the quality requirements as enumerated in the AERB Quality Manual.

November 22, 2011

  
(S. S. Bajaj)



ISO 9001:2008  
Organisation

नियामक भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई - 400 094  
NIYAMAK BHAVAN, ANUSHAKTINAGAR, MUMBAI - 400 094

दूरभाष / TELEPHONE : 91-22-2556 2343, 2599 0604  
फैक्स / FAX : 91-22-2556 2344, 2556 5717, 2558 3230

E-mail: [chairman@aerb.gov.in](mailto:chairman@aerb.gov.in)  
वेबसाइट / WEBSITE : [www.aerb.gov.in](http://www.aerb.gov.in)



25 Years of  
Safety Regulation  
1983 - 2008

परमाणु  
ऊर्जा  
नियामक  
परिषद



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

Atomic  
Energy  
Regulatory  
Board



अध्यक्ष  
CHAIRMAN

## गुणवत्ता नीति

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) को देश में विकिरण संरक्षा को सुनिश्चित करने तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयों में औद्योगिक संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 तथा फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी नियमों - विनियमों को लागू करने का अधिकार है। हमारा मुख्य ध्येय है आयनकारी विकिरण से कार्मिकों, जनसाधारण तथा पर्यावरण को असम्यक जोखिमों से बचाना।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, हम एईआरबी में नाभिकीय तथा विकिरण सुविधाओं की सहमति प्रक्रियाओं, संरक्षा समीक्षा व नियामक निरीक्षण तथा इस प्रयोजन हेतु संरक्षा दस्तावेजों को तैयार करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र (क्यूएमएस) को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एईआरबी अपने समर्पित एवं अभिप्रेरित मानव संसाधन का प्रयोग करके सहमति प्रक्रियाओं की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने, संरक्षा समीक्षा एवं नियामक निरीक्षणों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अधिकतर संरक्षा दस्तावेजों को विकसित करके सतत रूप से समीक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र में सुधार लाती रहेगी।

परिषद के सभी सदस्यों को एईआरबी गुणवत्ता मैनुअल में उल्लेखित गुणवत्ता अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

सतिन्दर बजाज

(एस.एस.बजाज)

22 नवंबर, 2011



ISO 9001:2008  
Organisation

C:\Users\DAMODA-I\AppData\Local\Temp\Quality\_Policy\_Hindi.doc

नियामक भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई - 400 094  
NIYAMAK BHAVAN, ANUSHAKTINAGAR, MUMBAI - 400 094

दूरभाष / TELEPHONE : 91-22-2556 2343, 2599 0604  
फैक्स / FAX : 91-22-2556 2344, 2556 5717, 2558 3230  
E-mail: chairman@aerb.gov.in  
वेबसाइट / WEBSITE : www.aerb.gov.in